न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

पीठासीन अधिकारीः— रणसिंह आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः— 11/2014

जीवराजसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह जाति राजपूत निवासी रणधीसर तहसील श्री कोलायत जिला बीकानेर।

...... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार (राजस्व) कोलायत

.... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः—
1. श्री उमाशंकर व्यास अभिभाषक अपीलार्थी।
2. पेरोकार राज/राज्य की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—26.11.2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अधीन नायब तहसीलदार कोलायत द्वारा इन्तकाल सं. 252 पर पारित आदेश दिनांक 15.06.07 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2014 को प्रस्तुत की गई।

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही बुर्ज चौबदारान तहसील कोलायत के खेत ख.नं 133/46 तादादी 50 बीघा का गैर खातेदार अपीलार्थी था। हल्का पटवारी ने आपेक्षित इंतकाल सं. 252 तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक 01.06.77 की पालना में भरकर नायब तहसीलदार कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने अपने आदेश 15.06.1977 को स्वीकार करते हुवे अपीलार्थी का गैर खातेदारी रकबा आराजीराज कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की और अभिकथन किया कि मातहत अदालत का अपीलाधीन आदेश कानून न्याय सिद्धान्त एवं मिसल रिकार्ड विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपील मीमो में आगे यह भी दर्ज किया है कि अपीलाधीन आदेश में यह आधार लिया गया है कि आलोटी ने अपने रकबे का इस्तीफा दे दिया है जबकि अपीलार्थी ने कभी भी कोई इस्तीफा नहीं दिया बल्कि आवेदन की तिथी से ही भूमि गैर इंतकाल अपील पर काबिज चला आ रहा है। भूमि दस पाला आंवटित हुई थी जिसकी शर्तो की पालना अपीलार्थी द्वारा की गयी इसलिए इन्तकाल सं. 79 गैर खातेदारी का अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 18.06.1975 को स्वीकृत किया गया। आगे वह भी अभिकथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा ईकतरफा तौर पर पारित कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक 24.09.2014 को अपीलार्थी को नहीं हो सकी। उसे तो तहसील में जाकर दूसरी खातेदारी लेने हेतु कार्यवाही करने हेतु पता किया तो कार्यालय द्वारा बताया गया कि इंतकाल जेर अपील के द्वारा भूमि दिनांक 15.06.1977 को ही इस्तीफा दिये जाने से सिवाय चक दर्ज कर दी गयी जिसपर उसी दिन 24.09.2014 को अपने वकील के माध्यम से नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.09.2014 को दूसरी नकल प्राप्त होने पर सर्व प्रथम जानकारी हुई। अतः दफा 5 म्याद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रथम ज्ञान की तिथि के आधार पर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुवे अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत होनी शुमार की जाकर अपील अपीलार्थी मंजूर करने एवं आदेश इंतकाल दिनाक 15.06.1977 अवैध होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपील के सम्मन करने पर रेस्पोडेंट राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित आये।

बहस उभयपक्ष की सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम अपील के मियाद बिन्दु पर अपना निष्कर्ष देते हैं। निश्चित तौर पर नायब तहसीलदार कोलायत की आज्ञा दिनांक 15.06.1977 के विरूद्ध अपील दिनांक 07.10.2014

को प्रस्तुत की गयी है। जो 37 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी है। जो काफी देरी का है। लेकिन केवल देरी के आधार पर ही अपील को निरस्त कर दिया जाता है तो अपीलार्थी न्याय से वंचित हो सकेगा जिसकी पूरी संभावना होगी। विशेषकर अपील के गुणागुण का बिन्दू विवादित हो प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी स्पष्ट रूप से कह कर आया है कि उसने कभी इस्तीफा नहीं दिया। अपीलाधीन इंतकाल को अवलोकन से भी इस्तीफा दिया जाना स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं होता है। उसके अलावा इंतकाल जैर अपील के देखने से अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस दिया जाना व सुनवाई का अवसर दिया गया हो, पत्रावली से प्रकट नहीं होता है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कानून मियाद दफा 5 का प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है। उनके प्रति खण्डन में कोई शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा अपील के गुणागुण का ठोस बिन्दु भी अपील में विवादित किया गया है।

ऐसी स्थिति में दफा 5 म्याद कानून का फायदा अपीलार्थी कानून का फायदा अपीलार्थी को दिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुयी देरी को क्षमा किया जाता है। तथा अपील प्रथम तिथि के ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत होने से इसे अन्दर म्याद में होना घोषित किया जाता है।

जहां तक गुणागुण का प्रशन है। दौराने बहस पेरोकारराज ने यह स्वीकार किया है कि यदि अपीलार्थी द्वारा वास्तव में कोई इस्तीफा नहीं दिया हो तो इसकी जांच पुनः की जा सकती है। तथा तद्नुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित होगी। अपील केवल पेरोकारराज भी इस बहस में स्वीकार किये गये तथ्य के आधार पर भी स्वीकार की जा सकती है। लेकिन हम इस्तीफा दिये जाने के तथ्य पर भी और कहना उचित समझते हैं। अपीलाधीन इंतकाल अपीलार्थी द्वारा इस्तीफा जमीन जैर अपील का दिये जाने के आधार पर पारित किया गया है। लेकिन इसकी पुष्टि हेतु इस्तीफा पत्रावली यह प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि यह भार रेस्पोडेन्ट पर है कि वो भूमि के इस्तीफे के तथ्य को साबित करे। फिर केवल राजस्व रिकार्ड में इस्तीफे का अंकन मात्र इसके बाबत पर्याप्त नहीं है। यह किसी इस्तीफा पत्र की पुष्टि तो कर सकता है। परन्तु स्वतंत्र रूप से इस्तीफा देने के तथ्य को निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं कर सकता। भूमि सिवायचक होने के उपरान्त कब कब्जा अपीलार्थी से लिया गया कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि यदि कब्जा सरकार ने ले लिया होता तो पिछले 37 वर्षो में एक बार भी तहसीलदार द्वारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अपीलांट के खिलाफ की हो, ऐसा पत्रावली से प्रकट नहीं होता हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा दिये गये भूमि के इस्तीफे के संबंध में जांच करवाने हेतु, तहसीलदार को आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हो।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी विरूद्ध प्रार्थी राज्य स्वीकार की जाती है। तथा आज्ञा नायब तहसीलदार कोलायत दिनांक 15.06.1977 अवैध होने से निरस्त की जाती है। तथा तहसीलदार कोलायत को पत्रावली प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुवे अपीलार्थी द्वारा दिये गये इस्तीफा की जांच करते हुवे अपीलार्थी को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे मामले में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

मामला अत्यधिक पुराना होने से तहसीलदार को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुवे 2 माह में प्रकरण का निस्तारण आदेश की प्रति प्राप्त होने पर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रणसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर